संख्या-940/2766/41-1-2025/CN-1668879/2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 03 दिसम्बर, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में एकमुश्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष पर्यटन विभाग की अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत मद सं०-'08 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास' हेतु अनुपूरक कार्ययोजना एवं कुल 10 मदों की नवीन कार्ययोजनाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3521/6-1-1 (कार्य योजना)/2025-26, दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में एकमुश्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष पर्यटन विभाग की अनुदान संख्या-44 की मद सं0-'08 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास' हेतु अनुपूरक कार्ययोजना एवं कुल 10 मदों की नवीन कार्ययोजना अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदित निम्नलिखित कार्ययोजनाओं पर इस शर्त के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया है कि योजनाओं पर व्यय उपलब्ध बजट की सीमा के अंतर्गत ही किया जाएगा:-

(अ) अनुपूरक कार्ययोजना

क्रमांक	मद संख्या
1	08-मुख्य मंत्री पर्यटन स्थलों का विकास

(ब) कुल 10 मदों की नवीन कार्ययोजना

क्रमांक	मद संख्या
1	10-ईको टूरिज्म का पर्यटन विकास।
2	11- प्रयागराज का समेकित पर्यटन विकास।
3	14-बुन्देलखण्ड का समेकित पर्यटन विकास।
4	22-बौद्ध परिपथ का समेकित पर्यटन विकास।
5	39-जनपद गोरखपुर में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास।
6	05-उ०प्र० श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद द्वारा चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास।
7	27-जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम में पर्यटन विकास।
8	42-उ 0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मधुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास।
9	49-उश्रीअयोध्या विकास परिषद द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास। 0प्र0
10	50-उश्री देवी पाटन विकास परिषद द्वारा देवी पाटन तीर्थ क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास। 0प्र0

संलग्नक-यथोक्त (कार्य योजना)

भवदीय,

(सजीव कुमार श्रीवास्तव)
सचिव ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, माननीय पर्यटन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अनु सचिव, पर्यटन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।